न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 215/2018

वादीगण

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व. शंकरलाल जाति खटीक खींची निवासी वार्ड नम्बर 4 राजकीय चिकित्सालय के पास कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. श्रीमति कमला पुत्री स्व. शंकरलाल
2. श्रीमति विमला पुत्री स्व. शंकरलाल
3. श्रीमति शारदा पुत्री स्व. शंकरलाल
4. श्रीमति हरी पुत्री स्व. शंकरलाल
5. श्रीमति रूपेश्वरी पुत्री स्व. शंकरलाल
6. माणचन्द पुत्र स्व. शंकरलाल
7. हंसराज पुत्र स्व. शंकरलाल सभी जाति खटीक निवासीगण कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी तह. कुचामनसिटी जिला नागौर।

दावा –बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री माधोप्रसाद अधिवक्ता एवं श्री प्रभुराम गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से ।

श्री विजयसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से एवं
श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 7 की ओर से

आदेश

दिनॉक :– 9/04/2019

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 आपस में सगे भाई बहन है तथा स्वर्गीय शंकरलाल के पुत्र पुत्रिया है। ग्राम कुचामनसिटी मं पक्षकारान के स्व. पिता शंकरलाल एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के खातेदारी की गत खसरा नम्बर 83 स्थित है उक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर 817, 818, 819, 820 है। उक्त आराजियात मे। स्व. शंकरलाल की खातेदारी 0.25 हैक्टर तथा वादी प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की 0.49 हैक्टर अर्थात कुल [illegible] 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। आराजियात सम्पूर्ण रूप से 17.08.1982 [illegible] रजिस्ट्री 0.49 हैक्टर खरीद कि थी तथा खरीदने कि कीम[illegible] के समय अदा की थी तथा पारिवारिक रिश्तो [illegible] वादी के पिता [illegible] दो छोटे भाईयो प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का नाम पा[illegible]रिक रिश्तो को ध्[illegible] रखते हुये रजिस्ट्री में दर्ज करवाया था जबकि खरीददारी के समय वादी का भाई प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

संख्या 6 माणकचंद विदेश मे सउदी अरब रहता था तथा उसके द्वारा व प्रतिवादी नम्बर 7 हंसराज द्वारा खरीद के समय अपने हिस्से का पैसा वादी को नही दिया था हंसराज नावां व रूपनगढ़ में पत्नि सहित रहता था, उपरोक्त भूमि के चारो तरफ 10 फुट ऊँची चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है तथा उक्त भूमि में वादी द्वारा निर्माण कार्य भी मकान का करवाया गया था एक दवाजा उत्तर में 16 फीट लम्बाई व 8.25 फीट चौड़ाई फुट व 12 फुट लम्बाव व 8.25 ऊँचाई के दो दरवाजे उत्तर में ही 7.25 फिट लम्बाई व 3.25 की ऊँचाई के 24 नंग 276फिट कि ग्रील बाबु लुहार पुत्र यासीन लुहार लुहारिया बास कुचामनसिटी से वादी न रूपयो से निर्मित करवाई तथा उक्त भूमि में 40 फीट चौड़ाई व लम्बाई 60 फीट के दो अधूरे हॉल व 6 छोटे कमरे दो शौचालय का निर्माण वादी ने ही अपनी आय से ही करवाया था जिसमें अधूरे हॉल व कमरे का निर्माण हो रखा है उपरोक्त आराजियात पर जो निर्माण कार्य हो रखा है उसके पड़ौस इस प्रकार है उत्तर में 28 फुट चौड़ा रास्ता छोड़कर उत्तर में कृषि मण्डी, दक्षिण में रघुनाथसिंह व जोरसिंह व श्रवणसिंह के मकान पूर्व में 12 फुट चौड़ा रास्ता छोड़कर नरेन्द्रसिंह रतनसिंह महिपालसिंह व कैलाश नागर के मकान व पश्चिम में 12 फुट चौड़ा रास्ता छोड़कर श्री हबीब पुत्र शकूर तेली का मकान जिसका तमाम खर्च एक मात्र वादी ने ही किया है उक्त भूमि के चारो तरफ चार दीवारी का निर्माण भी स्वीकृति लेकर किया गया है एवं वर्ममान में भी कब्जा मात्र प्रारम्भ से ही वादी का रहा है प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का कभी कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि में एक ट्यूब वैल का निर्माण भी वादी द्वारा करवाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी की बहिनें है चूँकि वादी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने से प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हे प्रतिवादी के रूप में समायोजित किया गया है। वादी के पिता द्वारा दिनॉक 15.7.1995 को एक वसीयतनामा भी वादी के पक्ष में निष्पादित किया है। प्रतिवादी संख्या 6 माणकचन्द द्वारा एक इकरारनामा दिनॉक 4.8.18 को वादी के पक्ष में लिखकर दिया है जिसमे कथन किया है ट्यूब वेल पर विद्युत कनेक्शन के अपने नाम करवाये तो उसे कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी सं. 7 ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 पर दवाब डालकर एक इकरारनामा अपने पक्ष में लिखवाया था जिसका क्रियान्वयन नही हुआ है। [illegible]सर पद पर रहते हुए अपने भाई बहनो की शादी का कार्य किया [illegible] है [illegible]था बड़ी बहन की शादी पिताजी द्वारा की गई। सामाजिक कार्य का [illegible] भी वादी द्वारा किया जाता रहा है। वादी की इस्तदुआ [illegible]सिटी के गत खसरा नम्बर 83 व नये खसरा नम्बर 817, 818, 819, 820 मे [illegible] रकबा 0.74 हैक्टर खातेदारी वादी के नाम दर्ज की जावे तथा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करते हुये स्व. शंकरलाल व प्रतिवादी संख्या 6 एवं 7 के नाम खातेदारी से हटाया जाकर वादी को 0.74 है.

.... 3....

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे िकवह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नही करे तथा उपरोक्त भूमि का बेचान इत्यादि नही करे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने उपस्थित होकर लिखित में दिनॉक 05.02.2019 को राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम कुचामनसिटी के गत खसरा नम्बर 83 व नये खसरा नम्बर 817 818 819 व 820 रकबा 0.74 हैक्टर जिसमे वादी की खातेदारी 4/30897 हैक्टर है तथा प्रतिवादी संख्या 6 माणचन्द पुत्र स्व. शंकरलाल की खातेदारी 4/30897 हैक्टर रेकर्ड के अनुसार है तथा प्रतिवादी संख्या 7 हंसराज का हिस्सा व खातेदारी 4/30897 हैक्टर पर है, साथ ही वादी सुरेश कुमार एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 माणकचन्द व हंसराज के पिता व वादीगण संख्या 1 से 5 स्व. शंकरलाल की पुत्रिया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता शंकरलाल की खातेदारी उपरोक्त आराजियात में 4/10299 हैक्टर में है, पक्षकारान के स्वर्गीय पिता शंकरलाल का उपरोक्त आराजियात में एक अन्य हिस्सा खातेदारी में है जो 0.25/3433 हैक्टर है, इस प्रकार उपरोक्त आराजियात में कुल खातेदारी 0.74 हैक्टर है वादी व प्रतिवादी संख्या 6 माणचन्द द्वारा एक इकरारनामा प्रतिवादी संख्या 7 हंसराज के पक्ष में निष्पादित दिनॉक 12.01.2005 को हो रखा है वह निरस्त समझाा जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 अपनी खातेदारी का हिस्सा वादी सुरेश कुमार के नाम खातेदारी में कराने के लिए सहमत है साथ ही पक्षकार के स्व. पिता शंकरलाल के नाम दो जगह खातेदारी दर्ज है वह सम्पूर्ण खातेदारी कुल 0.74 हैक्टर एकमात्र वादी की खातेदारी में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1से5 स्व. शंकरलाल की पुत्रीया वे भी अपना कोई हिस्सा सम्पूर्ण भूमि 0.74 हैक्टर में नही रहेगा। लड़किया भी भविष्य मं उपरोक्त भूमि में कोई हक व उजर संतानो सहित नही रहेगी। पक्षकारान नमें लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपस में राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान प्रतिवादी ने अपने हक हिस्से की भूमि वादी सुरेश कुमार के नाम दर्ज [illegible] वादी के पक्ष में की है तथा प्रतिवादी हंसराज एवं माणकचन्द का [illegible] खातेदारी से हटाये जाने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में [illegible] जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077, अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना द्वारा [illegible] सीमांकन/पत्थरगढ़ी आदेश की छाया प्रति, मौका रिपोर्ट दिनॉक 10.09.2000 की छाया प्रति, नगरपालिका कार्यालय टिप्पणी 29.12.2000 की छाया प्रति, बेचाननामा, इकरारनामा, विद्युत बिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की।

वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2074–2077 अनुसार कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 858, 860, 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823 कुल रकबा 34.33 हैक्टर में माणचन्द पुत्र स्व.शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 25/3433 जाति खटीक सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 4/10299 जाति खटीक सा. देह खातेदार, सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार, हंसराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार अन्य सहखातेदार के साथ संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है। राजीनामा मुताबिक पक्षकारान वादी एंव प्रतिवादीगण 1 से 7 आपस में भाई बहन है तथा शंकरलाल जी के वशंज है। उपरोक्त भूमि में दर्ज हिस्से की भूमि को पक्षकार प्रतिवादी 1 से 7,वादी सुरेश कुमार के नाम खातेदारी दर्ज कराये जाने के लिए सहमत है तथा पक्षकार के पिता शंकरलाल के नाम दो जगह खातेदारी दर्ज है उसमें भी वादी के नाम हक हिस्सा दर्ज किया जावे तो उन्हे कोई एतराज नही है। उपरोक्त भूमि में से 0.74 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 817 818 819 820 मे वादी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादीगण का नाम उपरोक्त भूमि में से हटाये जाने की इस्तदुआ की है।

वादी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी नकल, दिनॉक 10.09.2000 को प्रश्नगत भूमि की पैमाइश प्रति, इकरारनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपना हक हिस्सा खसरा नम्बर 817,818,819,820 मे चाहा है जबकि प्रश्नगत भूमि उपरोक्त खसरान में शामलाती दर्ज चली आ रहा है। पैमाइश दिनॉक 10.09.2000 अनुसार वादी का कब्जा खसरा नम्बर 811 में बताया गया है। इस प्रकार वादी के हिस्से की भूमि का अभी तक बंटवारा नही हुआ है। वादी द्वारा उपरोक्त खसरान की भूमि में चाहे गये खसरान नम्बर 817, 818, 819, 820 में चाहे गये खसरान [illegible] नही दिया जा सकता। चूँकि वादी द्वारा वाद–पत्र में बंटवारा का [illegible] चाहा गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार प्रश्नगत [illegible] हटाया जाकर वादी को खातेदार घोषित किये जा[illegible] उक्त राजीनामा दिनॉक 05.02.0219 को तस्दीक होकर शामिल मिसल उपलब्ध [illegible]। प्रकरण में किसी अन्य पक्षकारान का हक हिस्सा प्रभावित नही हो रहा है तथा वादी का वाद मुताबिक राजीनामा काबिल डिक्री योग्य पाये जाने से निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 858, 860, 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823 कुल रकबा 34.33 हैक्टर में माणचन्द पुत्र स्व.शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 25/3433 जाति खटीक सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 4/10299 जाति खटीक सा. देह खातेदार, हंसराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार का नाम उपरोक्त भूमि मे से हटाया जाता है तथा वादी सुरेश कुमार पुत्र स्व.शंकरलाल जाति खटीक कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निर्णय आज दिनॉक 9/4/2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(बाबुलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

<u>डिक्री मुकदमा इन्तेहाई</u>

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या 25/2018

वादीगण

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व. शंकरलाल जाति खटीक खींची निवासी वार्ड नम्बर 4 राजकीय चिकित्सालय के पास कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण

1. **श्रीमति कमला पुत्री स्व. शंकरलाल**
2. **श्रीमति विमला पुत्री स्व. शंकरलाल**
3. **श्रीमति शारदा पुत्री स्व. शंकरलाल**
4. **श्रीमति हरी पुत्री स्व. शंकरलाल**
5. **श्रीमति रूपेश्वरी पुत्री स्व. शंकरलाल**
6. **माणचन्द पुत्र स्व. शंकरलाल**
7. **हंसराज पुत्र स्व. शंकरलाल सभी जाति खटीक निवासीगण कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।**
8. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी तह. कुचामनसिटी जिला नागौर।**

दावा –बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती R.T.Act 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री अशोकपुरी अधिवक्ता वादी की ओर से हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **ग्राम कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 763, 780, 782, 783, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 794, 795, 796, 797, 798, 808, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 858, 860, 2650/815, 2651/823, 2655/823, 2656/823, 2657/823 कुल रकबा 34.33 हैक्टर में माणचन्द पुत्र स्व. शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 25/3433 जाति खटीक सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा 4/10299 जाति खटीक सा. देह खातेदार, हंसराज पुत्र शंकरलाल हिस्सा 4/30897 जाति खटीक सा. देह खातेदार का नाम उपरोक्त भूमि मे से हटाया जाता है तथा वादी सुरेश कुमार पुत्र स्व.शंकरलाल जाति खटीक कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।** निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 09.........माह 04................. सन् 2019................ को जारी की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तखत..........................

ओहदा.........................

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 11:17:13 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमि□नर		
फिस कमि□नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।